

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक अक्टूबर 21, 2009 को सम्पन्न हुई 11वीं बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 21.10.09 को मध्याह्न 4:30 बजे सचिवालय स्थित एफ0आर0डी0सी0 सभागार में अध्यक्ष, युईपीपीसीबी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न उपस्थित थे –

1. श्री एन0एस0 नपलच्छाल, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री आर0के0 सुधांशु, उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0, देहरादून।
3. श्री एस0एम0 जोशी, प्रभारी वन संरक्षक (प्रशासन) उत्तराखण्ड।
4. श्री विजय ढौड़ियाल, अपर सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री सी0एम0 डिमरी, महा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड प्रेयजल निगम।
6. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोशियेसन, उत्तराखण्ड।
7. डा० अजय गोरेला, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव यू०ई०पी०सी०बी० द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

कार्य सूची संख्या 11.1 बोर्ड की 10वीं बैठक दिनांक 31.03.09 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा दसवीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

कार्य सूची संख्या 11.2 बोर्ड की 10 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

उक्त बिन्दु पर निम्न निर्णय लिये गये –

1. बोर्ड के ढांचे के अनुमोदन हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयास किये जायें।
2. जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्रयोगशाला अधिसूचित किये जाने हेतु शासन स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रयास किये जायें।
3. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में पूर्व से गठित टारक फोर्स जिसमें पर्यावरण, परिवहन विभाग एवं अन्य विभाग हैं, को पुनः क्रियान्वित किया जायें।
4. पर्यावरणीय जन जागरूकता हेतु बोर्ड द्वारा विशेष प्रयास किये जायें इस हेतु विभिन्न पर्यावरण संबंधित विषयों पर बोर्ड द्वारा प्रचार प्रसार समग्री तैयार कर विद्यालयों, सिनेमाघरों, चैनलों तथा समाचार पत्रों में प्रसारित किया जाने की कार्यवाही की जायें।


30/10/09

कार्य सूची संख्या 11.3 बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2008-09 का प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन।

बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2008-09 को इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि वार्षिक रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं का भी समावेश कर लिया जाये।

1. बोर्ड के विभिन्न मदों में विगत वर्षों की प्राप्त आय तथा व्यय को अंकित किया जाये।
2. जल / वायु गुणवत्ता आकड़ों का विश्लेषण किया जाये परिवर्तन की स्थिति में कारणों का भी उल्लेख किया जाये।

कार्य सूची संख्या 11.4 उद्योग को जल व वायु सहमति निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव इस आशय के साथ अनुमोदत किया गया कि हरी श्रेणी के उद्योगों को 05 तथा नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 03 वर्षों हेतु सहमति आगामी वर्षों के शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त सहमति का निरतारण किया जाये। लाल श्रेणी के उद्योगों तथा दून वैली क्षेत्र में स्थापित समस्त श्रेणी के उद्योगों को पूर्व की भाँति 01 वर्ष हेतु सहमति निर्गत की जाये। यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावनुसार उद्योगों का अनुश्रवण भी किया जाये।

कार्य सूची संख्या 11.5 उद्योगों से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित करने तथा सहमति प्रकरणों को ऑनलाइन योजना के तहत निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उद्योगों से प्राप्त सुझावों को भी समावेश उपरोक्त योजना में किये जाने हेतु प्रयास किये जायें।

कार्य सूची संख्या 11.6 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) की अधिसूच्या दिनांक 15 जून 2008 के अनुसार राज्य बोर्ड की प्रयोगशालाओं में सेमिलिंग एवं विश्लेषण प्रभार लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्य सूची संख्या 11.7 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसीन अथोरिटी सम्बन्धी अधिसूच्या को बोर्ड के संज्ञान एवं प्राप्त निर्देशों/संस्थाओं के अनुमोदन हेतु।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि राष्ट्रीय महत्व के प्रकरण पर भारत सरकार से बोर्ड को प्राप्त निर्देशों को प्रदेश में लागू किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा पूर्ण प्रयास किये जायें।

कार्य सूची संख्या 11.8 बोर्ड कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासन के अनुरूप छठे वेतन आयोग की संस्थानियों के अनुसार युनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव इस आशय के साथ अनुमोदित किया गया कि प्रकरण को उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।

कार्य सूची संख्या 11.9 बोर्ड कार्मिको की वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्य सूची संख्या 11.10 वर्ष 2007-08 की आडिट बैलेन्स शीट बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दी गयी संस्पर्शियों पर शीघ्र कार्यवाही की जाये तथा नया Software को एक माह में तैयार कर कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग से लेखाधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेखाधिकारी उपलब्ध नहीं होता है तब तक बोर्ड के आडिटर से बिन्न किसी अन्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट की सहायता ली जाये।

कार्य सूची संख्या 11.11 बोर्ड कार्मिकों पर ई०पी०एफ० / सी०पी०एफ० व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।


बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्तमान से लागू ई०पी०एफ० व्यवस्था ही बोर्ड में लागू रहेगी। यदि किसी कार्मिक को ई०पी०एफ० विभाग से कोई कठिनाई आ रही है तो राज्य बोर्ड द्वारा उक्त हेतु सहयोग किया जायेगा।

कार्य सूची संख्या 11.12 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में।
प्रस्तावनुसार प्रगति आख्या अवलोकित की गयी तथा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न वित्त पोषित योजनाओं को समर्थन रूप से पूर्ण किया जाये।

सभी कार्य बिन्दुओं पर विचारोपान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के Organisation Goal, Vision तथा Road Map तैयार किये जाने हेतु दिसम्बर-09 के अंतिम सप्ताह में एक विशेष बैठक आहूत सुधार लाया जाये कि राज्य बोर्ड अन्य राज्य बोर्डों की तुलना में अग्रणी बोर्ड हो सके।

अन्त में बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की सहमति से सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों प्रतिभागियों का बैठक में भाग लेने एवं अपने विचार रखने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय के आभार के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


30/10/09
(डा० अजय गोपललाल)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून


(एन० एस० नपलन्द्याला०)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून